



. - 2026::1285

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 14148 वर्ष 2025

कृष्णकांत

.....याचिकाकर्ता

बनाम

यूपी राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश

प्रतिवादी(ओं) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार दुबे

कोर्ट संख्या-52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती. मंजू रानी चौहान

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आशीष कुमार नागवंशी, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या. 3 द्वारा जारी दिनांक 19.08.2025 के आदेश/वसूली प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की है। जिससे याचिकाकर्ता के विरुद्ध रुपये 71,10,614/- की वसूली. का आदेश दिया गया है।
3. चुनौती के तहत आदेश दिनांक 04.07.2025 के समाप्ति आदेश के अनुसार पारित एक परिणामी आदेश है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी दिनांक 31.03.1998 से शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया गया था। उक्त आदेश को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही रिट-ए संख्या 10029/2025 (कृष्णकांत बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य) के माध्यम से चुनौती दी जा चुकी है, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 17.10.2025 के फैसले और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश दिनांक 17.10.2025 को चुनौती देते हुए विशेष अपील संख्या 1138/2025 प्रस्तुत की है, जो अभी भी लंबित है।

4. याचिकाकर्ता द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली पहले दायर की गई रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी गई है और याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए वेतन की वसूली का निर्देश देने वाला बाद का आदेश केवल परिणामी प्रकृति का है और कार्रवाई के किसी नए या स्वतंत्र कारण को जन्म नहीं देता है। इसलिए, इस तरह के परिणामी आदेश पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका उसी मुद्दे को फिर से छेड़ने और मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की तरह होगी, जो कानून में अनुमति योग्य नहीं है।

5. निर्णयों की श्रृंखला में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जहां किसी पक्ष के पास पहले की कार्यवाही में आधार उठाने का अवसर था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, तो रचनात्मक निर्णय का सिद्धांत लागू होगा, और उसी कारण या परिणामी राहत पर बाद की याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, (1977) 2 एससीसी 806 और डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1990) 2 एससीसी 715** के वादों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। साथ ही, **के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी और अन्य, (1998) 3 एससीसी 573**, के वाद में भी शीर्ष न्यायालय ने एक ही विषय पर बार-बार मुकदमेबाजी की निंदा की है और माना है कि इस तरह की प्रथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अन्यथा भी, प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही एक विशेष अपील दायर करके चुनौती दी जा चुकी है, जो कि विचाराधीन है। विशेष अपील के लंबित रहने के दौरान, समान राहत की मांग करने वाली समानांतर कार्यवाही वर्जित है। **आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स के वाद में। छबील दास अग्रवाल, (2014) 1 एससीसी 603**, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां एक वैधानिक या अपीलीय उपाय अपनाया जा रहा है, एक रिट याचिका आमतौर पर सुनवाई योग्य नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. स्थापित कानूनी स्थिति और विशेष अपील की लंबितता को देखते हुए, एक बार मूल राहत अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, वर्तमान रिट याचिका में परिणामी या सहायक आदेश के आधार पर किसी स्वतंत्र राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। पहले दिया गया अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

7. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

6 जनवरी 2026

डी एस

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।